भारत सरकार
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय अधीक्षक(निवारक)
निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ एफ–1/29–31
जवाहर नगर, नानाखेडा उज्जैन (म.प्र.)456010

Government of India
Ministry of Finance
Central Bureau of Narcotics
Office of the Superintendent (Prev.)
Preventive and Intelligence Cell
F-1/29-31 Jawahar Nagar,
Nanakheda, Ujjain (MP)- 456010

☎(PBX) : (+91) 734-2513153; FAX: (+91) 734-2513153; Email: supdt-ujjain@cbn.nic.in

# नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/2024/सीबीएन/उज्जैन में जप्त पशु आहार के कुल 50 कट्टे कार्यालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जावरा के विभागीय मालखाने में रखे हुए है जिनकी माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, जावरा (म.प्र.) के आदेशानुसार नीलामी की कार्यवाही की जानी है। उक्त पशु आहार के 50 कट्टो की नीलामी दिनांक 26.09.2024 को समय 12:00 बजे कार्यालय परिसर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जावरा (म.प्र.) जिला – रतलाम (म.प्र.) में प्रस्तावित है। अतः इच्छुक बोलीकर्ता दिनांक 25.09.2024 को कार्यालय समयान्तराल 09:30–18:00 में उक्त कट्टो का अवलोकन कर सकते है।

नीलामी की शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–

1. प्रस्तावित कट्टों के विक्रय हेतु सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले बोलीकर्ता को उक्त पशु आहार के कट्टे सौपें जायेगें।
2. उक्त पशु आहार के परिवहन हेतु वाहन एवं मजदूरों से संबंधित समस्त व्यय स्वयं बोलीकर्ता को वहन करना होगा।
3. पशु आहार की प्रस्तावित दर पर वास्तविक क्रेता (अधिकतम बोलीकर्ता) को मुल राशि बैंकर/चेक/डीडी के माध्यम से दो दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा विभागीय मालखानें से पशु आहार के कट्टे दो दिन के भीतर ले जाने होगें।
4. बोलीकर्ता को बोली से पुर्व बयाना राशि 1,000/– रूपये (लौटाने योग्य) नगद जमा करानें होगें तथा अपनी पहचान हेतु पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। दौरानें नीलामी उच्चतम बोली न्यूनतम आरक्षित दर से अधिक को रिकार्ड किया जायेगा।
5. अधिकतम बोलीकर्ता द्वारा पशु आहार ले जाने के पश्चात क्रय/विक्रय संबंधित सभी करो का भुगतान स्वयं बोलीकर्ता को करना होगा।
6. नीलामी के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कार्यालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, उज्जैन (म.प्र.) के पास सुरक्षित होगे।
7. नीलामी के तहत विक्रय सामग्री की गुणवत्ता की कोई गारण्टी विभाग द्वारा नही दी जायेगी।
8. नीलामी के लिए सामग्री की बोली हेतु सरल कागज पर आवेदन कर सकते है।

मुकेश खत्री

(मुकेश खत्री)
अधीक्षक (निवारक),
निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ,
उज्जैन(म.प्र.)